जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 29.03.2023**

आज दिनांक 29.03.2023 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **श्री अखिल कुमार** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **श्री आर0के0 भारद्वाज** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले मे वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत कुमार** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्रीमती दीपांशी राठौर** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 173/2023 धारा 354(क)/323/504/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता याकूब खान पुत्र बक्सीस खान निवासी ग्राम बकौली थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्द द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ दिनांक 22.03.2023 को छेड़छाड़ व विरोध करने पर मारपीट की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध मे वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर दिनांक 25.03.2023 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 28.03.2023 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अनुज कुमार यादव, का0 शैलेन्द्र यादव, का0 बबलू प्रसाद।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीटर / वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के निर्देशन में जनपद के हिस्ट्रीशीटर अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.03.2023 को क्षेत्राधिकारी मेहदावल **श्री राजीव कुमार यादव** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बखिरा **श्री श्याम मोहन** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर हिस्ट्रीशीटर व मु0अ0सं0237 / 13 धारा 363 / 366 / 376 / 504 / 506 आईपीसी, 3 / 4 पास्को एक्ट माननीय न्यायालय द्वारा जारी वारंट के क्रम में अभियुक्त नाम पता सूरज सिंह पुत्र आजाद सिंह निवासी ग्राम सिहटीकर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सूरज सिंह पुत्र आजाद सिंह निवासी ग्राम सिहटीकर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर। (HS N0- 68A थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:- प्रभारी चौकी बखिरा उ0नि0 श्री जितेंद्र कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल एहतेशाम, का0 प्रशांत, कां0 भूपेंद्र दुबे, कां0 सुमित कुमार, कां0 पंकज साहू, कां0 रोशन सिंह, कां0 अमित कुमार, महिला आरक्षी नेहा सिंह।

फरार चल रहे वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान 02 नफर वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, विवरण निम्नवत है:-

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त नाम पता प्रेमचन्द पुत्र मुराली निवासी ठठरा उर्फ उंचवा थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री गामा यादव।

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त नाम पता राजू उर्फ खन्ना पुत्र छोटन निवासी धर्मसिंहवा थाना धर्मसिंहवा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रामप्रवेश यादव, कां0 अरविन्द शर्मा।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3311 द्वारा विवाद विवाद में घायल महिला को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 3311 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत बगही से इवेन्ट संख्या 10112 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से 01 महिला के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर 08 मिनट में पहुँचकर विवाद में घायल महिला को इलाज हेतु जरिए एंबुलेंस से प्रा0स्वा0केन्द्र मलौली भेजवाया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद में घायल महिला को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – आ0 पेशकार भारती, हो0चा0 धर्मेन्द्र कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 56 वाहनो से 51,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 29.03.2023 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 56 वाहनों से 51,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।